16,32} hrs.

CONSTITUTION (AMENDMENT)
BILL*

(Amendment of article 363)

श्री यक्षपाल सिंह (देहरादून): मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 368 में आगे संशोधन करने वाले मेरे विधेयक को पेश करने की मुझे अनुमति दी बाय।

Mr. Deputy-Speaker: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Constitution of India."

The motion was adopted.

श्री यक्षपाल सिंहः मैं विश्वेयक को पेश करता हं।

16.33 hrs.

PARLIAMENT (PREVENTION OF DISQUALIFICATION) AMEND-MENT BILL*

(Amendment of section 3)

श्री यक्तपाल लिह (देहरादून): मैं प्रस्ताव करता हूं कि संसद (प्रनर्हता निवारण) श्रिष्ठिनयम, 1959 में प्रागे संशोधन करने वाले मेरे विधेयक को पेश करने की प्रमुमति दी जाय।

Mr. Deputy-Speaker: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Parliament (Prevention of Disquification) Act, 1959."

The motion was adopted.

भी मधापाल सिंह: मैं निश्चेयक को पेश करता हूं। 16.334 hrs.

INDIAN TELEGRAPH (AMEND-MENT) BILL*

(Amendment of section 5)

श्री यशपाल सिंह (देहराष्ट्रम) : मैं
प्रस्ताव करता हूं कि भारतीय तारयम्ब इपिनियम, 1885 में प्रागे संशोधन करने वाले मेरे विधेयक को पेश करने की अनुमति ही जाय ।

Mr. Deputy-Speaker: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Indian Telegraph Act, 1885."

The motion was adopted.

भी यदापाल सिंह : मैं इस विश्लेयक की पेश करता हूं ।

16.34 hrs.

CODE OF CIVIL PROCEDURE (AMENDMENT) BILL*

(Omission of section 80)

श्री नाववाई (राजापुर) : मैं प्रायंना करता हूं कि सिनिल प्रक्रिया संहिता, 1908 में प्रागे संशोधन करने वाले मेरे विधेयक की वेश करने की धनुमति दी जाय ।

Mr. Deputy-Speaker: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Code of Civil Procedure, 1908."

The motion was adopted.

भी नाचपाई : मैं इस विश्लेषक को पेश करता हूं ।

^{*}Published in Gezette of India Extra ordinary, Part II, Section 2, dated 7th April, 1967.